रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27, 1971/फाल्गुन 8, 1892

No. 170] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27, 1971/PHALGUNA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February 1971

S.O. 994.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby appoints Shri M. A. Rangaswamy, an officer of the Indian Revenue Service, as Administrator, *vice* Shri Jasjit Singh.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 17th February, 1971.

[No. F.131/3/71-GCII.]

M. R. YARDI, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1971

का० आ० 994.—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम० ए० रंगास्वामी को, जो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, श्री जसजीत सिंह के स्थान पर प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 17 फरवरी, 1971 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० फा० 131/3/71-जी० सी० II]

एम० आर० यार्दी, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971